प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांकः 11.09.2013 हेतु एजेण्डा बिन्दु से सम्बन्धित विवरणः–

एजेण्डा बिन्दु संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रबन्धकारिणी समिति की गत बैठक दिनांक 08.03.2013 की कार्यवाही की पुष्टि।	1–5
2	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2013 को सम्पन्न प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	6–10
3	वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2013 से जून, 2013 में मध्यान्ह भोजन योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रस्तुतीकरण।	11–15
4	मध्यान्ह भोजन योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण व मूल्यांकन मद की बैलेन्स शीट का प्रस्तुतीकरण।	16–23
5	विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था।	24
6	मध्यान्ह भोजन योजना के दैनिक अनुश्रवण हेतु संचालित आई0वी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली संबंधी अनुबन्ध का विस्तारीकरण।	25–36
7	मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनॉलिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा मण्डल व जनपद में कार्यरत समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत वेतन/मानदेय में वृद्धि किया जाना।	37–38
8	मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण में सर्विस प्रोवाइडर संस्था डोएक/NIELIT के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ईंधन प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाना।	39–40
9	मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनॉलिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर/अर्द्धकुशल व अकुशल श्रेणी कार्मिकों तथा मण्डल व जनपद में कार्यरत समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाना।	41–42
10	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	–

एजेन्डा बिन्दु–1

प्रबन्धकारिणी समिति की गत बैठक दिनांक 08.03.2013 की कार्यवाही की पुष्टि

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की गत बैठक दिनांक 08.03.2013 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी थी, जिसका कार्यवृत्त दिनांक 14.03 2013 को पत्रांकःम0भो0प्रा0 / सी–6058 / द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था।

प्रबन्धकारिणी समिति कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहे (कार्यवृत्त–बैठक दिनांक 08.03.2013 की प्रति संलग्न। संलग्नक–1)।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2013 को सम्पन्न प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

क्रम सं0	अनुपालन बिन्दु	प्रबन्धकारिणी समिति का निर्णय	कृत कार्यवाही
1	**एजेण्डा बिन्दु–2** मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2013 को सम्पन्न प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	• जनपद कानपुर नगर, आगरा, कन्नौज एवं लखनऊ में अक्षयपात्र संस्था के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में हुयी चर्चा में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अक्षय पात्र संस्था के साथ एक बैठक उनकी अध्यक्षता में आहूत कर ली जाय। तत्पश्चात अन्य प्रतिष्ठिति संस्थाओं से ई0ओ0आई0 (Expression of Interest) आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाय। • रसोइयों को एप्रिन, ग्लब्स व कैप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपदीय स्तर पर जिलाधिकारियों से इच्छुक डोनर्स के माध्यम से उक्त व्यवस्था हेतु अनुरोध करने के निर्देश दिये गये।	• मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.13 को अक्षयपात्र संस्था के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में संस्था द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार जनपद लखनऊ में जून 2013, कानपुर नगर में जून 2014, आगरा व कन्नौज में जून 2015 में केन्द्रीय किचेन की स्थापना की जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद लखनऊ में 08 जून, 2013 कों मा0 मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय किचेन का शिलान्यास किया जा चुका है। Expression of Interest के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के मार्गदर्शी निर्देश में ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम पंचायत, वार्ड समिति, शिक्षक–अभिभावक संघ या स्कूल शिक्षा समिति सह विकास समिति द्वारा भोजन तैयार कराये जाने के निर्देश हैं। शासनादेश दिनांक 17.02.2006 में व्यवस्था है कि योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को गर्म पके–पकाये भोजन वितरण की अनुमति तभी प्रदान की जाय, जब ग्राम पंचायतें/स्थानीय निकायों द्वारा स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी जाय। शहरी क्षेत्रों के उन विद्यालयों में जहाँ किचेन शेड के लिये स्थल उपलब्ध नहीं है, उन्हीं विद्यालयों के समूह को केन्द्रीय किचेन के माध्यम से पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाय। ***इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2013 के माध्यम से भी निर्देश प्रदत्त हैं (संलग्नक–2)।*** उक्त के आलोक में ई0ओ0आई0 (Expression of Interest) जारी किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। • रसोइयों को एप्रिन ग्लब्स व कैप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा के स्तर से पत्र संख्याःसी–63 दिनांक 03.04.2013 प्रेषित। उल्लेखनीय है कि जनपद फिरोजाबाद के विकास क्षेत्र शिकोहाबाद व जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र सिधौली की कतिपय न्याय पंचायत के विद्यालयों में एप्रिन ग्लब्स व कैप का वितरण कराया भी गया है।

2	**एजेण्डा बिन्दु–4**	समिति द्वारा आई0वी0आर0एस0 प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी की गयी एवं इस प्रणाली के माध्यम से दैनिक रूप से प्राप्त होने वाले डाटा/सूचनाओं के सत्यापन हेतु पृथक से आकस्मिक पुष्टि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिये गये।	जनपद उन्नाव के 37 विद्यालयों का औचक निरीक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें मात्र 04 विद्यालयों में आई0वी0आर0एस0 के डाटा से भिन्नता पायी गयी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त 18 मण्डल के मुख्यालय जनपद के कुल 1592 विद्यालयों का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में कुल 132 विद्यालयों में एम0डी0एम0 रजिस्टर में दर्ज संख्या तथा वास्तविक उपस्थिति में 05 से अधिक संख्या की भिन्नता पायी गयी है, जो कुल निरीक्षित विद्यालयों का लगभग 08 प्रतिशत है। इस प्रकार के नियमित निरीक्षण कराये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
3	**एजेण्डा बिन्दु–5** प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 01.11.2012 के एजेण्डा बिन्दु–03 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में वाह्य मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का फीड बैक।	समिति द्वारा अगली बैठक में वाह्य मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।	वाह्य मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं– भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ व उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ एवं गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। संस्थाओं द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में दी गयी संस्तुतियों का संक्षिप्त विवरण संयुक्त रूप में संलग्न है **(संलग्नक–3)**।
4	**एजेण्डा बिन्दु–6**	निदेशक, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा अपने खाद्यान्न परिवहन सम्बन्धी पुराने बिलों के भुगतान लम्बित होने के सम्बन्ध में समिति का ध्यान आकर्षित किये जाने के फलस्वरूप मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण लखनऊ से समन्वय स्थापित कर प्रकरण का निस्तारण कराये।	प्राधिकरण के पत्र संख्याः659 दिनांक 01 मई, 2013 व पत्र संख्याः2101–03 दिनांक 30.08.13 द्वारा भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावः–प्रबन्धकारिणी समिति उक्त अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहे।

एजेण्डा बिन्दु–3

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2013 से जून, 2013 में मध्यान्ह भोजन योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रस्तुतीकरणः–

मध्यान्ह भोजन योजना प्रदेश के राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका–पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेंहूँ एवं चावल) भारत सरकार से प्राप्त होता है तथा खाद्यान्न को भोजन के रूप में तैयार करने हेतु परिवर्तन लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक विद्यालयों में 100 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति दिन की दर से तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति दिन की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार परिवर्तन लागत प्राथमिक विद्यालयों में रू0 03.34 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रू0 05.00 प्रति छात्र प्रति दिन की दर से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें केन्द्रांश क्रमशः रू0 2.51 तथा रू0 3.75 एवं राज्यांश रू0 0.83 एवं रू0 1.25 निर्धारित है। परिवर्तन लागत की उपरोक्त दर जुलाई, 2013 से प्रभावी है। वर्तमान में रसोइयों को रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2013 से जून, 2013 में मध्यान्ह भोजन योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रस्तुतीकरण निम्नवत् हैः–

भौतिक प्रगतिः–

आच्छादन

	आच्छादित विद्यालय	नामांकित छात्र	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित छात्र संख्या	औसत लाभान्वित छात्र
प्राथमिक विद्यालय	114399	14045510	8900000	6965615
उच्च प्राथमिक विद्यालय	55222	6051691	3222910	2591284

खाद्यान्न (मी0टन में)–प्रथम त्रैमास

	भारत सरकार से आवंटित खाद्यान्न		खाद्यान्न का उठान		खाद्यान्न का उपभोग	
	चावल	गेंहूँ	चावल	गेंहूँ	चावल	गेंहूँ
प्राथमिक विद्यालय	21978.0	11322.0	21834.68	11094.49	20283.75	10364.32
उच्च प्राथमिक विद्यालय	12761.48	6574.10	12624.22	6390.08	11321.45	5782.54

नोटः–द्वितीय त्रैमास हेतु भी 99146.45 मी0टन खाद्यान्न का आवंटन जनपदों को किया जा चुका है व तृतीय त्रैमास के खाद्यान्न आवंटन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय प्रगति : 2013–14

(रू0 करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राज्य सरकार का प्रस्ताव			भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना			भारत सरकार द्वारा अद्यतन अवमुक्त केन्द्रांश के क्रम में कुल उपलब्ध केन्द्रीय सहायता
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
		1	2	3	4	5	6	7
1	कन्वर्जन कास्ट	853.84	284.61	**1138.46**	843.15	279.98	**1123.13**	824.84
2	रसोइया मानदेय	356.90	118.97	**475.86**	325.52	108.51	**434.03**	
3	खाद्यान्न मूल्य	187.09	0.00	**187.09**	182.87	0.00	**182.87**	
4	परिवहन व्यय	25.58	0.00	**25.58**	25.59	0.00	**25.59**	
5	एम0एम0ई0	25.62	0.00	**25.62**	24.79	0.00	**24.79**	
6	किचेन उपकरण	10.09	0.00	**10.09**	22.77	0.00	**22.77**	
	योग	**1459.12**	**403.58**	**1852.61**	**1424.69**	**388.49**	**1813.18**	**824.84**

क्र. सं.	मद	राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृति			प्रथम त्रैमास का व्यय		
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
		8	9	10	11	12	13
1	कन्वर्जन कास्ट	195.37	65.23	**260.60**	109.44	36.48	**145.92**
2	रसोइया मानदेय	89.94	26.73	**116.67**	37.85	12.62	**50.47**
3	खाद्यान्न मूल्य	30.43	0.00	**30.43**	5.53	0.00	**5.53**
4	परिवहन व्यय	3.95	0.00	**3.95**	0.55	0.00	**0.55**
5	एम0एम0ई0	10.00	0.00	**10.00**	4.23	0.00	**4.23**
6	किचेन उपकरण	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
	योग	**329.69**	**91.96**	**421.64**	**157.60**	**49.10**	**206.70**

मध्यान्ह भोजन योजना में सुधार हेतु कतिपय नवीन प्रयास

- **निरीक्षण:**–मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन का आकस्मिक निरीक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण आख्या सम्बन्धित जनपद को प्रेषित कर पायी गयी कमियों का निराकरण कराकर अनुपालन आख्या भी प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज तथा राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त 1,27,840 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। आख्यानुसार 2763 प्रकरणों में नोटिस/चेतावनी जारी कर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही प्रदेश स्तर पर गठित टास्कफोर्स के सदस्यों द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है तथा निरीक्षण आख्या प्राप्त होने का क्रम गतिमान है। निरीक्षण

आख्या में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचित किये जाने व अनुपालन आख्या प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिसमें नोटिस, चेतावनी व दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में टिप्पणी सम्मिलित होगी। साथ ही प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आई0वी0आर0एस0 के माध्यम से दैनिक अनुश्रवण की कार्यवाही स्कूलवार, न्यायपंचायतवार, विकासखण्डवार व जनपदवार सुनिश्चित की जा रही है।

- **सुरक्षा, स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता**:– अन्य प्रदेश में घटित घटना के दृष्टिगत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत सुरक्षा, स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में मा0 मुख्य सचिव द्वारा जुलाई, 2013 में समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये।
- **प्रशिक्षण**:–मध्यान्ह भोजन योजना के संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रदेश में कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का योजना के बेहतर एवं प्रभावी संचालन एवं ज्ञान संवर्धन हेतु एक दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त, 2013 में यूनिसेफ के सहयोग से सम्पन्न कराया गया।
- **कन्टिनजेन्सी प्लान**:–मध्यान्ह भोजन योजन जैसी संवेदनशील योजना के संचालन में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु सितम्बर, 2013 में कन्टिनजेन्सी प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है।
- **रसोइयाँ मानदेय**:–आई0वी0आर0एस0 प्रणाली के माध्यम से रसोइयों को मानदेय का भुगतान प्राप्त होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त किया जाना। इस हेतु डाटाबेस बनाया जा रहा है।
- **सामुदायिक सहभागिता**:– आई0वी0आर0एस0 प्रणाली के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में SMC का फीड बैक प्राप्त किया जाना। इस हेतु डाटाबेस बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- **भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न मूल्य के भुगतान के अनुश्रवण की व्यवस्था**:–

भारतीय खाद्य निगम तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के मध्य खाद्यान्न मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट **www.upmdm.org** पर व्यवस्था बना दी गयी है। इस व्यवस्था में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित खाद्यान्न के देयकों का अंकन भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालयों द्वारा उक्त वेबसाइट पर किया जायेगा तथा अंकित बिल के सापेक्ष जनपद द्वारा किये गये भुगतान की सूचना सभी सम्बन्धित कार्यालयों को निरीक्षणार्थ उपलब्ध हो सकेगी। प्राधिकरण द्वारा यही व्यवस्था परिवहन भुगतान के सम्बन्ध में भी लागू की जा रही है।

भारत सरकार के संयुक्त समीक्षा दल की रिपोर्ट में उल्लिखित योजना में लागू बेस्ट प्रैक्टिसेस

भारत सरकार का संयुक्त समीक्षा दल (जे0आर0एम0) मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा हेतु दिनांक 08.07.2013 से 17.07.2013 के मध्य प्रदेश भ्रमण पर रहा। संयुक्त समीक्षा दल द्वारा जनपद श्रावस्ती व सीतापुर का निरीक्षण/भ्रमण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त जे0आर0एम0 द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्राधिकरण स्तर से की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस यथा रियल–टाइम अनुश्रवण, वेब बेस्ड एम0आई0एस0, ऑनलाइन बजट आवंटन एवं ई–पेमेण्ट, प्रशिक्षण, ई–कम्यूनिकेशन एवं वित्तीय प्रबन्धन की प्रोएक्टिव व्यवस्था इत्यादि की सराहना की गयी है। **(संलग्नक–4)**

प्रस्ताव :–

प्रबन्धकारिणी समिति उक्त प्रगति, नवीन प्रयासों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस से अवगत होना चाहे।

एजेण्डा बिन्दु–4

मध्यान्ह भोजन योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण व मूल्याकंन मद की बैलेन्स शीट का प्रस्तुतीकरण

मध्यान्ह भोजन योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा इस मद में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जो योजनान्तर्गत वर्ष हेतु परिवर्तन लागत, खाद्यान्न के मूल्य एवं परिवहन व्यय मदों में अनुमन्य केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि का 1.8 प्रतिशत के आधार पर आंकलित होता है। यह मद शत्–प्रतिशत् केन्द्र पोषित है, इस मद में राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जाता। पके–पकाये भोजन की योजना का प्रारम्भ प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2004–05 के तृतीय त्रैमास से प्रारम्भ हुआ था किन्तु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 में इस मद मे कोई धनराशि अवमुक्त नही की गयी। वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम0एम0ई0) मद मे भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

अवगतार्थ है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। तद्क्रम में प्राधिकरण के संचालन के नियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण के खातों का सम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से कराते हुए बैलेन्स शीट बनाए जाने का प्राविधान है। उक्त के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश उ0प्र0 के लिए पैनल में रखी गयी ऑडिट फर्मो से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए तद्क्रम में चयनित फर्म से पके–पकाये भोजन की मध्यान्ह भोजन योजना संचालन के उपरान्त योजना के प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में भारत सरकार से वर्ष 2010–11 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्ययों का सम्प्रेक्षण किए जाने की कार्यवाही की गयी।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा सम्प्रेक्षणोपरान्त दिनांक 31.03.2011 की सत्यापित बैलेन्स शीट प्रस्तुत की गयी है, जिसकी प्रति **संलग्नक–5** पर प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव :–समिति उपरोक्त का संज्ञान लेना चाहें।

एजेण्डा बिन्दु–5

विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था।

भारत सरकार का संयुक्त समीक्षा दल (जे0आर0एम0) मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा हेतु दिनांक 08.07.2013 से 17.07.2013 के मध्य प्रदेश भ्रमण पर रहा। संयुक्त समीक्षा दल द्वारा जनपद श्रावस्ती व सीतापुर का निरीक्षण/भ्रमण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त जे0आर0एम0 द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन विद्यालय में गठित प्रबन्ध समिति के माध्यम से कराये जाने हेतु संस्तुति की गयी। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामान्यतः एक ग्राम पंचायत में एक साथ कई विद्यालयों का कार्य एक ग्राम प्रधान द्वारा देखे जाने तथा ग्राम पंचायत स्तरीय अन्य कई योजनाओं में ग्राम प्रधान की व्यस्तता के दृष्टिगत योजना के संचालन में स्थानीय स्तर पर कठिनाई अनुभव की जा रही है। मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 तथा 2006 में निर्गत दिशा निर्देशों में भी स्थानीय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिला समूहों, नेहरू युवा केन्द्र से सम्बन्धित युवा समूहों, अभिभावक संघों (PTA) के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धन व विकास समितियों (SMDC) के माध्यम से किए जाने के निर्देश हैं। वर्तमान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन वर्ष 2011 में किया जा चुका है तथा सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित विद्यालय स्तरीय अधिकांश अनुदानों/कार्यों का व्यवहरण विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। अतः मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से कराये जाने हेतु निम्नवत प्रस्तावित हैः–

"किसी विद्यालय या विद्यालय समूह में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन ग्राम पंचायतों/विद्यालय प्रबन्ध समितियों (SMC)/स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/महिला समूहों/नेहरू युवा केन्द्र से सम्बन्धित युवा समूहों/अभिभावक संघों (PTA) इत्यादि द्वारा कराये जाने का निर्णय सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लिया जाएगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से योजना का संचालन कराये जाने की स्थिति में विद्यालय स्तरीय मध्यान्ह भोजन निधि का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा योजना सम्बन्धी खाद्यान्न को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने सम्बन्धी कार्य भी उपरोक्त समिति द्वारा किया जाएगा। योजना का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित किए जाने की स्थिति में पूर्व कार्यदायी संस्था अपने पास अवशेष खाद्यान्न की मात्रा व परिवर्तन लागत की धनराशि को विद्यालय प्रबन्ध समिति को तत्काल हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेगी।"

प्रस्तावः–प्रबन्धकारिणी समिति उक्त से सहमति की दशा में प्रस्ताव अनुमोदित करना चाहे।

एजेण्डा बिन्दु–6

मध्यान्ह भोजन योजना के दैनिक अनुश्रवण हेतु संचालित आई0वी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली संबंधी अनुबन्ध का विस्तारीकरण

मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों मे एक वेब सहायतित मैनजेमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (एम0आई0एस0) बनाए जाने का प्राविधान का उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा भी इस हेतु आवश्यक प्रयास करने के निर्देश हैं। उक्त दिशा–निर्देश एवं भारत सरकार के प्रथम ज्वाइण्ट रिव्यू मिशन (फरवरी, 2010) की संस्तुतियों के क्रम में प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.03.10 में प्राप्त अनुमोदनानुसार आई0टी0 विभाग के शासनादेश संख्या 1518/78 आई0टी0–2–2002 दिनांक 16.08.2002 **(संलग्नक–6)** के प्राविधानानुसार आई0टी0 विभाग के निगम यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरशेन लिमिटेड (यू0पी0 डेस्को) को दिनांक 31.03.10 को 3.5 वर्ष हेतु दिनांक 30.09.13 तक अनुबन्धित करते हुये आई0वी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली का सफल संचालन किया जा रहा है।

प्रणाली के संचालन के फलस्वरूप जहां वर्ष 2010 में जून माह से प्रणाली के प्रारम्भ होने पर लगभग 30–35 प्रतिशत विद्यालयों में भोजन न बनने की स्थिति विद्यालयों द्वारा अंकित की जाती थी वह अद्यतन घट कर 4 से 5 प्रतिशत पर सीमित रह गयी है। वस्तुतः प्रणाली से प्राप्त सूचना एवं प्रणालीजनित एक्सेप्शन रिपोर्ट आदि के आधार पर जनपद स्तर पर किये जा रहे योजना के अनुश्रवण से योजना के स्वरूप में निश्चित ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और भोजन न वितरित करने वाले विद्यालयों की संख्या में अत्यधिक कमी हुयी है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे के शीर्षस्थ स्तर तक सीधे सूचना प्रेषण एवं उस सूचना का रियल टाइम आधार पर प्रशासनिक ढांचे के सभी स्तरों पर प्रसारण से योजना के व्यक्तिपरक मूल्यांकन में ह्रास हुआ है एवं ऑब्जेक्टिविटी बढी है। इस प्रणाली का मूल्यांकन यूनीसेफ संस्था द्वारा भी किया गया है एवं प्रणाली की सराहना की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आईवीआरएस आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली को निम्न महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भारत सरकार एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया है:–

1. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ई–गवर्नेन्स हेतु नेशनल गोल्ड अवॉर्ड, 2012
2. आई.टी. विभाग, भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित mBillionth Award South Asia 2011 अवॉर्ड
3. Vodafone Mobiles for Good द्वारा प्रदत्त विशेष सम्मान 2011
4. इन्टरनेन्ट एवं मोबाइल एसोसियेशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त इण्डिया डिजिटल अवॉर्ड 2011
5. आई.टी. विभाग, भारत सरकार के तत्वाधान में डिजिटल इम्पावरमेन्ट फाउण्डेशन एवं वर्ड सम्मिट एवार्ड द्वारा आयोजित मन्थन एवार्डः साउथ एशिया एवं एशिया पैसिफिक, 2012 ई–गवर्नेंस हेतु अवार्ड
6. NASSCOM Foundation द्वारा आयोजित NASSCOM Social Innovation Honors 2013 में UNICEF Recognition for Innovation for Children हेतु पुरस्कार
7. ASSOCHAM संस्था द्वारा Best Used of Techonology in School हेतु National Education Excellence Award 2013

प्रदेश शासन द्वारा प्रणाली की उपयोगिता के आधार पर इसे आईसीडीएस योजना के दैनिक अनुश्रवण हेतु भी वर्ष 2011 से लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस अभिनव प्रयोग एवं प्रणाली के सफल परिणामों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस प्रणाली को इसके मूल स्वरूप में पूरे देश में लागू करते हुए मध्यान्ह भोजन योजना का रियल टाइम आधार पर दैनिक अनुश्रवण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यू0पी0 डेस्को द्वारा प्रणाली के संबंध में वर्तमान में लागू अनुबन्ध के विस्तार हेतु अपने पत्र दिनांक 21.05.13 के माध्यम से सहमति दी गयी है **(संलग्नक–7)**। अवगतार्थ है कि वर्तमान में संस्था के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार 'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' विभिन्न प्रबन्धन एवं तकनीकी कम्पोनेन्ट पर आधारित फ्रेमवर्क एवं प्लेटफार्म के संचालन के लिये प्रभावी दर प्रतिडाटा प्राप्ति के आधार पर रू0

1.45 व उस पर देय सेन्टेज है, जिसके मुख्य अवयव यू0पी0 डेस्को के पत्र दिनांक 04.09.13 **(संलग्नक–8)** के अनुसार बिजनेस प्रोसेस रीइन्जीनियरिंग, एस0आई0पी0 मॉडल सर्विस डिलीवरी, लगभग 10 लाख कॉल क्षमता के अत्याधुनिक टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्राचर, नवीन टीयर–।।। डाटा सेन्टर, इन्टरप्राईज डाटा मैनजमेन्ट फ्रेमवर्क एवं डाटा वेयरहॉउस, टेलीफोनी क्लाउड स्टैक, आई0वी0आर0एस0 मैनजमेन्ट फ्रेमवर्क, हिन्दी टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम, वॉयस ओवर आई0पी0 आधारित कॉल सेन्टर, ऐनिलिटिक्स एवं डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म, क्लाउड कम्पयूटिंग आधारित एम0आई0सी0, फॉयर वॉल एवं इन्ट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एस0एम0एस0 गेट वे, ई–मेल गेट वे, ट्रेन्ड कॉल सेन्टर इक्जिक्यूटिव, तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से सतत् संचालन, अनुरक्षण, उन्नयन एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के माध्यम से दिन–प्रतिदिन तकनीकी एवं प्रबन्धन अनुश्रवण आदि है। इसके अतिरिक्त उक्त दर में ही प्रणाली के विभिन्न फन्कशन, एम0आई0एस0 एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का संचालन भी सम्मिलित है।

अतः मध्यान्ह भोजन योजना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत योजना के क्रियान्वयन के दैनिक अनुश्रवण की आवश्यकता एवं इस हेतु वर्तमान में लागू आई0वी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के आलोक में प्रणाली के संचालन हेतु आई0टी0 विभाग के शासनादेश संख्या–1518/78 आई0टी0–2–2002, दिनांक 16.08.2002 के प्राविधानानुसार यू0पी0 डेस्को के साथ हुये अनुबन्ध दिनांक 31.03.10 के प्रस्तर–3 में उपलब्ध निम्न प्राविधान के अन्तर्गत उक्त अनुबन्ध का विस्तार आगामी 01 वर्ष के लिये दिनांक 30.09.14 तक किया जाना प्रस्तावित हैः

"The period of the contract shall be 3.5 years from the date of effectiveness of the contract. The contract may be extended further as per mutual consultation between the Client and the Contractor."

प्रस्ताव–उक्त प्रणाली के संचालन की निरन्तरता के लिये मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण एवं यू0पी0 डेस्को के मध्य हुये अनुबन्ध के उपर्युक्त प्रस्तावानुसार विस्तारीकरण हेतु समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

एजेण्डा बिन्दु–7

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनॉलिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा मण्डल व जनपद में कार्यरत समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत वेतन/मानदेय में वृद्धि किया जानाः–

मध्यान्ह भोजन योजना मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्याः 196/2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में संचालित की जा रही है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी इस योजना के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी भांति मण्डल एवं जनपद स्तर पर योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन एम0डी0एम0 सेल का गठन किया गया है, जिसमें एक समन्वयक तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर की तैनाती संविदा के आधार पर की गयी है। इसके अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण कार्यालय में भी संविदा के आधार पर सिस्टम एनालिस्ट एवं कम्प्यूटर आपरेटर की सेवायें प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट द्वारा कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित किया जा रहा है। उनके द्वारा मुख्य रूप से प्राधिकरण स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में मण्डलों/जनपदों से ऑनलाइन सूचना प्राप्त करना, एम0डी0एम0 की वेब साइट का अपडेट, वेब बेस्ड एम0आई0एस0 की संरचना तथा उसके माध्यम से सूचनाओं का संकलन, कम्प्यूटर का रख–रखाव तथा सूचना प्रद्यौगिकी की नवीनतम् तकनीको से प्राधिकरण को लाभान्वित किया जा रहा है।

वर्तमान में सिस्टम एनालिस्ट को रू0 27,500.00 प्रतिमाह नियत वेतन प्राप्त हो रहा है, प्राधिकरण के सिस्टम एनालिस्ट द्वारा अपने नियत वेतन में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसी भांति योजनान्तर्गत कार्यरत समन्वयकों को रू0 22,000.00 प्रतिमाह नियत वेतन एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को रू0 11000.00 प्रतिमाह नियत वेतन प्राप्त हो रहा है। विगत माहों में मँहगाई में हुई वृद्धि के कारण योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत इन समन्वयकों एवं कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि संविदा पर कार्यरत उक्त कर्मियों के नियत वेतन में प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2012 में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ था तथा यह निर्णय लिया गया था कि आगामी वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धि किये जाने हेतु प्रस्ताव तत्समय प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाय। कार्मिकों की मांग तथा एक वर्ष से अधिक समयावधि पूर्ण होने के फलस्वरूप योजनान्तर्गत कार्यरत उपरोक्त कर्मियों (मुख्यालय/मण्डल/जनपद) के नियत वेतन में पूर्व निर्णयानुसार निम्नवत् वृद्धि किया जाना प्रस्तावित हैः–

	वर्तमान नियत वेतन	प्रस्तावित नियत वेतन	वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार (रू0 में–लगभग)
सिस्टम एनॉलिस्ट	रू0 27500.00 प्रतिमाह	30,250.00	33,000.00
समन्वयक	रू0 22000.00 प्रतिमाह	24,200.00	24,55,200.00
कम्प्यूटर आपरेटर	रू0 11000.00 प्रतिमाह	12,100.00	13,33,200.00
		योगः–	**38,21,400.00**

उपरोक्त सम्बन्धित व्यय भार शत–प्रतिशत भारत सरकार से योजनान्तर्गत एम0एम0ई0 मद में प्राप्त होने वाले बजट से वहन किया जाएगा।

प्रस्तावः–प्रबन्धकारिणी समिति मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत उक्त श्रेणी के कर्मियों के नियत वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने सम्बन्धित उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहें।

एजेण्डा बिन्दु–8

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण में सर्विस प्रोवाइडर संस्था डोएक/NIELIT के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ईंधन प्रतिपूर्ति प्रदान किया जानाः–

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयानुसार सेवा प्रदाता संस्था National Institute of Electronics and Information Technology, (NIELIT)/DOEACC के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवायें प्राप्त की जाती हैं। कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा स्वयं का वाहन प्रयोग करने पर 40 ली0 की सीमा तक ईंधन पर व्यय हुयी धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह अनुमन्य करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ***"कृषि विविधीकरण परियोजना (यू0पी0डॉस्प) में कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अनुबन्ध पर कार्यरत तृतीय श्रेणी स्तर के कार्मिकों को परियोजना कार्यों के लिये स्वयं के वाहन प्रयोग करने पर प्रतिमाह ईंधन पर हुये व्यय सम्बन्धित धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। इस सम्बन्ध में उक्त कार्यालय द्वारा कार्यालयादेश संख्याः1866 दिनांक 16 सितम्बर, 03 निर्गत है (संलग्नक–9)।"*** प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार व प्राधिकरण स्तर से निर्गत कार्यालय आदेश संख्याः14595 दिनांक 21.11.07 के अनुक्रम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को स्वयं का वाहन प्रयोग के परिप्रेक्ष्य में ईंधन/अनुरक्षण पर व्यय हुयी धनराशि का भुगतान/प्रतिपूर्ति अनुमन्य सीमा तक प्रतिमाह की जाती है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में संविदा के आधार पर कार्यरत सिस्टम एनॉलिस्ट को प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के अनुमोदनोपरान्त ईंधन/अनुरक्षण पर व्यय हुयी धनराशि (40 ली0 की सीमा तक) का भुगतान/प्रतिपूर्ति प्रतिमाह की जा रही है।

योजना सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा निष्ठा पूर्वक व लगन के साथ किया जाता है। योजना सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में अन्य विभागों से सम्पर्क/समन्वय स्थापित करने हेतु भी कम्प्यूटर ऑपरेटरों का सहयोग लिया जाता है। कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा अन्य विभागों से समय–समय पर सम्पर्क/समन्वय स्थपित करने की कार्यवाही में स्वयं के वाहन का प्रयोग किया जाता है, जिस पर ईंधन का व्यय स्वाभाविक है। माह जुलाई, 2013 में 40 ली0 हेतु की गयी प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 3002.00 प्रति कार्मिक के अनुसार कार्यरत आठ कम्प्यूटर ऑपरेटरों हेतु रू0 24,016.00 लगभग का मासिक व्यय भार व वार्षिक व्यय भार रू0 2,88,192.00 लगभग अतिरिक्त प्राधिकरण को वहन करना होगा। कम्प्यूटर ऑपरेटरों की रूचि योजना सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन में निरन्तर बनी रहे, के दृष्टिगत कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा स्वयं का वाहन प्रयोग करने व मूल रसीद/कैश मेमो प्राधिकरण में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत करने पर ईंधन/अनुरक्षण पर व्यय हुयी धनराशि (40 ली0 की सीमा तक) का भुगतान/प्रतिपूर्ति अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावः–प्रबन्धकारिणी समिति उक्त से सहमति की दशा में प्रस्ताव अनुमोदित करना चाहे।

एजेण्डा बिन्दु–9

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनॉलिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर/अर्द्धकुशल व अकुशल श्रेणी कार्मिकों तथा मण्डल व जनपद में कार्यरत समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान किया जानाः–

मध्यान्ह भोजन योजना के सुचारू संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण में संविदा के आधार पर 01 सिस्टम एनॉलिस्ट तथा संविदा आधारित सृजित कम्प्यूटर ऑपरेटर व अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के पदों पर प्रबन्धकारिणी समिति के आदेशानुसार सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से 08 कम्प्यूटर ऑपरेटर व 14 अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी के कर्मी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 01 समन्वयक व 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा मण्डलों में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में 01 समन्वयक व 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य परियोजना कार्यालय में संविदा व दैनिक वेतन कार्मिकों को प्रतिवर्ष एक माह के पारिश्रमिक/मानदेय के समतुल्य चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य है। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः3251 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 **(संलग्नक–10)** में राज्य परियोजना कार्यालय में संविदा एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों द्वारा चिकित्सा व्यय के बाउचर उपलब्ध कराने पर नियमानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने का उल्लेख है। तत्क्रम में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों द्वारा की जा रही निरन्तर मांग के फलस्वरूप प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनॉलिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर/अर्द्धकुशल व अकुशल श्रेणी कार्मिकों तथा मण्डल व जनपद में कार्यरत समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रति वर्ष (01 वर्ष की कार्यावधि में) एक माह के पारिश्रमिक/मानदेय के समतुल्य चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रतिपूर्ति कार्मिकों द्वारा चिकित्सा व्यय के बाउचर उपलब्ध कराने पर नियमानुसार देय होगी। इस सम्बन्ध में आकलन निम्नवत हैः–

क्र0सं0	पद	पद संख्या	वर्तमान नियत वेतन	वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार (रू0 में–लगभग)
1	प्राधिकरण में कार्यरत सिस्टम एनॉलिस्ट	01	रू0 27500.00 प्रतिमाह	27,500.00
2	प्राधिकरण में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर (सेवा प्रदाता संस्था डोएक/NIELIT के माध्यम से)	08	रू0 11000.00 प्रतिमाह	88,000.00
3	प्राधिकरण में कार्यरत अर्द्धकुशल व अकुशल श्रेणी कर्मी (सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से)	14	अर्द्धकुशल–5672.48 प्रतिमाह अकुशल–4975.66 प्रतिमाह	73,143.34
4	मण्डल व जनपद में कार्यरत समन्वयक	93	रू0 22000.00 प्रतिमाह	20,46,000.00
5	कम्प्यूटर आपरेटर	93	रू0 11000.00 प्रतिमाह	10,23,000.00
			योगः–	32,57,643.00

उपरोक्त सम्बन्धित व्यय भार शत–प्रतिशत भारत सरकार से योजनान्तर्गत एम0एम0ई0 मद में प्राप्त होने वाले बजट से वहन किया जाएगा।

प्रस्तावः–प्रबन्धकारिणी समिति उक्त से सहमति की दशा में प्रस्ताव अनुमोदित करना चाहे।